



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072025-264274
CG-DL-E-01072025-264274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2842]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2025/आषाढ़ 10, 1947

No. 2842]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2025/ASHADHA 10, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2025

का.आ. 2909(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1974-E तारीख 01/05/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के करौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -23 के कि.मी. 96.00 से कि.मी. 109.00 तक के भूखण्ड पर टू लेन पेव्ड शोल्डर के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "06.06.2025 " को "राष्ट्रदूत" और "दी इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के करौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -23 के कि.मी. 96.00 से कि.मी. 109.00 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: करौली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सपोटरा					
गांव का नाम: कुरगांव					
1	1109/2	निजी	सिंचित	0.0235395	1.कुंतेश देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार हिस्सा-43/84, 2. केदार लाल पुत्र रामजी लाल हिस्सा-79/680,3. बाबू पुत्र किशोरी हिस्सा 1/3 सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (फुल्ल अकाउंट) 4. विजेंद्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह हिस्सा-79/476, 5. मोहर सिंह पुत्र किशोरी हिस्सा -1/3
2	1109/2	निजी	सिंचित	0.0322048	1.कुंतेश देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार हिस्सा-43/84, 2. केदार लाल पुत्र रामजी लाल हिस्सा-79/680,3. बाबू पुत्र किशोरी हिस्सा 1/3 सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (फुल्ल अकाउंट) 4. विजेंद्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह हिस्सा-79/476 5. मोहर सिंह पुत्र किशोरी हिस्सा -1/3

गांव का नाम: महमदपुर					
3	236	निजी	सिंचित	0.0486959	1. जितेन्द्र पुत्र रमेशबर हिस्सा 1/16 ,2. नीरज पुत्र रमेशबर हिस्सा -1/16 ,3. परसराम पुत्र श्री हिस्सा -1/4, 4. विकास पुत्र महेश हिस्सा -1/12, 5. भूपेन्द्र पुत्र रमेशबर हिस्सा-1/16 , 6. रामरुप पुत्र श्री हिस्सा-1/4,7. शांति पत्नी रमेशबर हिस्सा-1/16, 8. सुनील पुत्र महेश हिस्सा 1/12, 9. सुरग्यांनी पत्नी महेश हिस्सा1/12
4	245	निजी	सिंचित	0.0274725	1. जितेन्द्र पुत्र रमेशबर हिस्सा 1/16 ,2. नीरज पुत्र रमेशबर हिस्सा -1/16 ,3. परसराम पुत्र श्री हिस्सा -1/4, 4. विकास पुत्र महेश हिस्सा -1/12, 5. भूपेन्द्र पुत्र रमेशबर हिस्सा-1/16 , 6. रामरुप पुत्र श्री हिस्सा-1/4,7. शांति पत्नी रमेशबर हिस्सा-1/16, 8. सुनील पुत्र महेश हिस्सा 1/12, 9. सुरग्यांनी पत्नी महेश हिस्सा1/12
5	246/585	निजी	सिंचित	0.0363413	1. जितेन्द्र पुत्र रमेशबर हिस्सा 1/16 ,2. नीरज पुत्र रमेशबर हिस्सा -1/16 ,3. परसराम पुत्र श्री हिस्सा -1/4, 4. विकास पुत्र महेश हिस्सा -1/12, 5. भूपेन्द्र पुत्र रमेशबर हिस्सा-1/16 , 6. रामरुप पुत्र श्री हिस्सा-1/4,7. शांति पत्नी रमेशबर हिस्सा-1/16, 8. सुनील पुत्र महेश हिस्सा 1/12, 9. सुरग्यांनी पत्नी महेश हिस्सा1/12

6	247	निजी	सिंचित	0.0443104	1. जितेन्द्र पुत्र रमेशबर हिस्सा 1/16 ,2. नीरज पुत्र रमेशबर हिस्सा -1/16 ,3. परसराम पुत्र श्री हिस्सा -1/4, 4. विकास पुत्र महेश हिस्सा -1/12, 5. भूपेन्द्र पुत्र रमेशबर हिस्सा-1/16 , 6. रामरुप पुत्र श्री हिस्सा-1/4,7. शांति पत्नी रमेशबर हिस्सा-1/16, 8. सुनील पुत्र महेश हिस्सा 1/12, 9. सुरग्यांनी पत्नी महेश हिस्सा1/12
Total				0.2125644	

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2021-22/01/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2025

S.O. 2909(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 1974-E Dated: 01/05/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of two lane paved shoulder, Maintenance, management and operation of National Highway No. 23 in the stretch of land from Km. 96.00 to Km. 109.00 in the district of KARauli in the state of RAJASTHAN.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” and “Rastradoot” both dated 06.06.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-23 in the stretch of land from Km. 96.00 to Km. 109.00 in the district of KARAU LI in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN			District: KARAU LI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sapotra					
Village: Kurgaon					
1	1109/2	Private	Irrigated	0.0235395	1.Kuntesh Devi W/o Devendra Kumar Share-43/84 2. Kedar Lal son Ramji Lal Share-79/680,3. Babu S/o Kishori Share 1/3 Sa. Deh Account Holder Share-1/4 (Full Account) 4. Vijendra Singh S/o Kalyan Singh Share-79/476 5. Mohar Singh S/o Kishori Share -1/3
2	1109/2	Private	Irrigated	0.0322048	1.Kuntesh Devi W/o Devendra Kumar Share-43/84 2. Kedar Lal son Ramji Lal Share-79/680,3. Babu S/o Kishori Share 1/3 Sa. Deh Account Holder Share-1/4 (Full Account) 4. Vijendra Singh S/o Kalyan Singh Share-79/476 5. Mohar Singh S/o Kishori Share -1/3
Village: Mahmadpur					
3	236	Private	Irrigated	0.0486959	1. Jitendra S/o Rameshbar Share 1/16 ,2. Neeraj S/o Rameshbar Share -1/16 ,3. Parasram S/o Shri Share -1/4, 4. Vikas S/o Mahesh Share -1/12, 5. Bhupendra S/o Rameshbar Share-1/16 , 6. Ramrup S/o Shri Share-1/4,7. Shanti W/o Rameshbar Share-1/16, 8. Sunil S/o Mahesh Share 1/12, 9. Surgyanni W/o Mahesh Share1/12

4	245	Private	Irrigated	0.0274725	1. Jitendra S/o Rameshbar Share 1/16 ,2. Neeraj S/o Rameshbar Share -1/16 ,3. Parasram S/o Shri Share -1/4, 4. Vikas S/o Mahesh Share - 1/12, 5. Bhupendra S/o Rameshbar Share-1/16 , 6. Ramrup S/o Shri Share-1/4,7. Shanti W/o Rameshbar Share-1/16, 8. Sunil S/o Mahesh Share 1/12, 9. Surgyanni W/o Mahesh Share1/12
5	246/585	Private	Irrigated	0.0363413	1. Jitendra S/o Rameshbar Share 1/16 ,2. Neeraj S/o Rameshbar Share -1/16 ,3. Parasram S/o Shri Share -1/4, 4. Vikas S/o Mahesh Share - 1/12, 5. Bhupendra S/o Rameshbar Share-1/16 , 6. Ramrup S/o Shri Share-1/4,7. Shanti W/o Rameshbar Share-1/16, 8. Sunil S/o Mahesh Share 1/12, 9. Surgyanni W/o Mahesh Share1/12
6	247	Private	Irrigated	0.0443104	1. Jitendra S/o Rameshbar Share 1/16 ,2. Neeraj S/o Rameshbar Share -1/16 ,3. Parasram S/o Shri Share -1/4, 4. Vikas S/o Mahesh Share - 1/12, 5. Bhupendra S/o Rameshbar Share-1/16 , 6. Ramrup S/o Shri Share-1/4,7. Shanti W/o Rameshbar Share-1/16, 8. Sunil S/o Mahesh Share 1/12, 9. Surgyanni W/o Mahesh Share1/12
Total				0.2125644	

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2021-22/01/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director